न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः—38 / दावा / 2017 | दायरा दिनांक :— 27.07.2017

GCMS ID—2017 / 00230

बउनवान

1. शंकरलाल आ० श्री छगनालाल आयु 55 जाति मीणा निवासी दगदमा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज
2. गलकू आयु 60 वर्ष पुत्री छगना जाति मीणा निवासी दमदमा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज०

वादीगण

बनाम

1. शोजी आयु 52 वर्ष आ० छगना जाति मीणा निवासी दमदमा
2. रामसिंह आयु 48 वर्ष आ० छगना जाति मीणा निवासी .दमदमा
3. कैलाश आयु 45 वर्ष आ० छगना जाति मोणा निवासी दमदमा
4. धापू आयु 58 वर्ष पुत्री छगना जाति मीणा निवासी दमदमा
5. रामधणी आयु 56 वर्ष पुत्री छगना जाति मीणा निवासी दमदमा
6. प्रेम आयु 54 वर्ष पुत्री छगना जाति मीणा निवासी दमदमा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
7. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

वकील वादी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा।
वकील प्रतिवादीगण :—श्री जितेन्द्र कोठारी।

दिनांक :—18 / 02 / 2026

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खस. 204 एकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख.स, 205 रकया 2 बीघा 17 विस्वा, खु.स. 207 रकबा 2 बीधा 16 बिस्वा, ख.स. 3014 / 211 रकबा 15 बीघा कुल किता 4 कुल रकया 23 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम खजूर को [illegible]ला पटवार क्षेत्र पगाँरा तराहील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की खतोनी संख्या [illegible]9 वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबन्दी सलग्न है। हिस्से कर रखे है एवं हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने ख.स. 3014 / 211 में से हिस्से में आई भूमि पर फसल की सिचाई हेतु कुआ खुदवा रखा है। वादीगण ने अपने हिस्से में आई भूमि को लेवल करवाकर भूमि को समतल करके भूमियों में तालाब की मिटटी डलवाकर अच्छी कृषि उपज योग्य बना ली हैं। व भूमि पर मेडबन्दी कर दी है एवं भूमि पर काफी पेशा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

लगाकर भूमि को कृषि उपज योग्य बनवाकर सिचाई हेतु कुआ खुदवाकर भूमि पर काश्त कर रहा है। वादीगण द्वारा अपनी भूमि को बडीया उपजाउ योग्य बना लेने से प्रतिवादीगण के मन में बदनियिति आ गई है और राजस्व रिकोर्ड मे खाता पृथक पृथक नहीं होने का अनुचित फायदा उठाकर वादीगण द्वारा तैयार की गई भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा करना चाहते है और वादीगण के हिस्से में आई भूमि पर जबरन अपना अधिकार जताकर कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। वादीगण ने हिस्से में आई हुई भूमि व मौके पर कब्जेनुसार भूमि का बंटवारा करवाने का प्रतिवादीगण से आग्रह किया लेकिन प्रतिवादीगण बंटवारा करवाने को भी सहमत नहीं हुये है और वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर से बेदखल करने की धमकिया दे रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी कैलाश भारतीय सेना में नौकरी करता है तथा शोजी व रामसिंह तथा कैलाश ने एक सगंठन बना रखा है जो जबरन दादागिरी के बल पर वादीगण द्वारा काफी पैसा खर्च करके लेवल करवाकर अच्छी उपज योग्य बनाई गई भूमि पर कब्जा करने चाहते है इसी आशय से दिनांक 18.6.2017 को उक्त प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर आ गये और वादीगण को धमकी दी कि हम तेरे कब्जे व हिस्से की भूमि जिसको तुमने अच्छी उपज योग्य बनाया है व जिस पर तुमने कुआ खुदवाया है उक्त भूमि पर हम कब्जा करेंगे तुम्हें बेदखल करेगे और आडे फिरोगे तो जान से मारेगे। तब वादीगण ने भूमि का हिस्से व कब्जे के अनुसार बंटवारा करवाने का निवेदन किया जिसको भी उन्होने ठकुरा दिया है यही वाद उत्पत्ति का कारण है। वाद कारण अन्तिम रूप से दिनांक 18.6.2017 को उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में निहित अपने हिस्से की भूमि का अपने कब्जे के अनुसार विविधत बंटवार करीवाकर अपना खाता पृथक कायम करवावे एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतन्त्र कब्जा प्राप्त करे, वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि में दखलन्दाज नही करने, वादी द्वारा खुदवाये गये चाह पर जबरन कब्जा नही करने व वादी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करवावे एवं यदि दौराने वाद वादी द्वारा काफी पैशा लगाकर अच्छी उपज योग्य बनाई हुई भूमि पर व चाह पर जबरन कब्जा कर ले तो इसी वाद में उनको बेदखल कर वादी को वापिस कब्जा प्राप्त करे। वादपत्र भूमि ग्राम दमदमा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। बंटवारे में याद में भूमिधारी राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार हिण्डोली को प्रतिवादी संख्या 7 बनाया गया है। वाद अन्तर्गत अवधि निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिकी प्रदान की जावें। कृषि भूमि ख.स. 204 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख.स. 205 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, ख.स. 207 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख.स. 3014/211 रकबा 15 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम खजूर का नला पटवार क्षेत्र पगोंरा तसहील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित वादीगण के हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीगण का खाता पृथक कायम किया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतन्त्र कब्जा भी दिलवाया जावें। वादीगण द्वारा काफी पैसा लगाकर अधिक बडिया उपजाउ बनाई गई भूमि जो वादीगण के कब्जे मे है वादीगण के हिस्से में रखी जावे। वादीगण को प्राप्त भूमि पर दखलन्दाज नही करने वादी के कब्जे में हस्तक्षेप नही करने व वादी के चाह पर जबरन कब्जा नही करने व वादी के हिस्से की भूमि पर फसल बोने एवं काटने में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें। यदि दौराने वाद वादीगण द्वारा अधिक उपजाउ योग्य बनाई गई वादी के हिस्से की भूमि पर व चाह पर प्रतिवादीगण कब्जा कर ले तो इसी वाद में प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को वापस कब्जा भी संभलाया जायें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादीगण को प्रदान की जावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई।

प्रतिवादी नं. 01 लगायत 06 की ओर से मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा किए जाने हेतु वाद प्राथमिक डिक्री किए जाने का दिनांक 12.06.2018 अंकन आदेशिका पर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 को मौके पर हिस्से कब्जे अनुसार बंटवारा कर खाता पृथक करने में कोई आपत्ति नहीं होने प्रतिवादी संख्या 07 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है। तनकीयात कायम की जाकर शामिल मिसल की गई।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 99 सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम खजूर का नाला पटवार मण्डल पंगारा तहसील हिण्डोली की पेश की है।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादीगण–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांक :– 22.06.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/567 दिनांकः– 22.11.2021 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया। उक्त प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट पर वकील वादीगण को आपत्ति होने से आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट दिनांक :–19.02.2025 को तलब किए जाने के आदेश दिए जाने पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/1161 दिनांकः– 07.05.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस पक्षकारान की सुनी गई। पक्षकारान के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :—

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. शंकर पिता छगना जाति मीणा सा0 दमदमा मजरा देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिण्डोली।	207/2 205/3 3014/211/6	0.3238 0.2386 0.3238
	योग	किता– 3	**0.8862**
2.	1. कैलाश पिता छगना जाति मीणा सा0 दमदमा मजरा देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिण्डोली।	207/1 205/2 204/2 3014/211/5	0.1294 0.1619 0.2711 0.3238
	योग	किता–4	**0.8862**
3.	1. रामसिंह पिता छगना जाति मीणा सा0 दमदमा मजरा देह खातेदार।	205/1 204/1 3014/211/4 3014/211/3	0.767 0.1741 0.3238 0.3116
	योग	किता–4	**0.8862**
4.	1. शोजी पिता छगना जाति मीणा सा0 दमदमा मजरा देह खातेदार राहिन राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हिण्डोली।	3014/211/2	0.8862
	योग	किता–1	**0.8862**
5.	1. शोजी, शंकर, कैलाश, रामसिंह पिता छगना जाति मीणा सा0 दमदमा मजरा देह खातेदार राहिन जमाबन्दी अनुसार	3014/211/1	0.2589
	योग	किता–1	**0.2589**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला– बून्दी (राज.) मुकाम हिण्डोली बइजलास श्री शिवराज मीणा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला–बून्दी

बउनवान

1. शंकरलाल आ० श्री छगनालाल आयु 55 जाति मीणा निवासी दगदमा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज
2. गलकू आयु 60 वर्ष पुत्री छगना जाति मीणा निवासी दमदमा तहसील हिण्डोली।

वादीगण

बनाम

1. शोजी आयु 52 वर्ष आ० छगना जाति मीणा निवासी दमदमा
2. रामसिंह आयु 48 वर्ष आ० छगना जाति मीणा निवासी दमदमा
3. कैलाश आयु 45 वर्ष आ० छगना जाति मोणा निवासी दमदमा
4. धापू आयु 58 वर्ष पुत्री छगना जाति मीणा निवासी दमदमा
5. रामधणी आयु 56 वर्ष पुत्री छगना जाति मीणा निवासी दमदमा
6. प्रेम पुत्री छगना जाति मीणा निवासी दमदमा तह० हिण्डोली जिला बून्दी
7. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजीयात।

मुकदमा नम्बर :–38/दावा/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रूबरू श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस.व हाजिरी श्री शम्भूलाल शर्मा एडवोकेट मिजानिब मुदई रूबरू श्री जितेन्द्र कोठारी मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
	1. शंकर पिता छगना जाति मीणा सा0 दमदमा मजरा देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिण्डोली।	207/2 205/3 3014/211/6	0.3238 0.2386 0.3238
	योग	किता– 3	0.8862
2.	1. कैलाश पिता छगना जाति मीणा सा0 दमदमा मजरा देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिण्डोली।	207/1 205/2 204/2 3014/211/5	0.1294 0.1619 0.2711 0.3238

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	योग	किता–4	0.8862
3.	1. रामसिंह पिता छगना जाति मीणा सा0 दमदमा मजरा देह खातेदार।	205/1 204/1 3014/211/4 3014/211/3	0.767 0.1741 0.3238 0.3116
	योग	किता–4	0.8862
4.	1. शोजी पिता छगना जाति मीणा सा0 दमदमा मजरा देह खातेदार राहिन राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हिण्डोली।	3014/211/2	0.8862
	योग	किता–1	0.8862
5.	1. शोजी, शंकर, कैलाश, रामसिंह पिता छगना जाति मीणा सा0 दमदमा मजरा देह खातेदार राहिन जमाबन्दी अनुसार	3014/211/1	0.2589
	योग	किता–1	0.2589

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :–18.02.2026 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

मोहर न्यायालय

18/02/2026

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालत नामा	0	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हूक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2	00	मीजान	2	00

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)